



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के अंतर्गत

धारा-4 की उपधारा (1) बी के अनुसार मैनुअल

(1) संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

राज्य शासन के राज्य हित के सामान्य क्रियाकलापों के संबंध में तथा शासन की नीतियों आदि के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के समस्त विभागों के मध्य आवश्यकतानुसार समन्वय कराना तथा शासकीय धन की प्राप्तियों, अभिरक्षा, संवितरण तथा राज्य में वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय अनुशासन का दायित्व वित्त विभाग का है।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य और कार्य संबंधी विवरण सचिवालयीन कार्यालयीन पुस्तिका के पृष्ठ 03 से 06, 71, से 73 एवं 178 से 186 तक पर हैं। संक्षेप में स्थिति निम्न प्रकार हैः-

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (अ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी- | कार्यालय एवं अधिकारियों की नस्ती आवाजाही में मदद। |
| (ब) सहायक ग्रेड-3 | आवक-जावक/टायपिंग आदि का कार्य। |
| (स) सहायक गेड-2 एवं 1 | नस्ती संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य। |
| (द) अनुभाग अधिकारी | अनुभाग का पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन एवं नियंत्रण का कार्य। |
| (इ) अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी /उप सचिव/ संयुक्त सचिव तथा विशेष सचिव | सचिव और प्रमुख सचिव को प्रकरण के विश्लेषण टीप सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करते हैं। |
| (ड) सचिव / प्रमुख सचिव | रुटीन मामलों में नियमानुसार निर्णय करते हैं तथा नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में शासन (मंत्री/मंत्रिपरिषद) को आवश्यकतानुसार परामर्श देते हैं और शासन के निर्णयों को शासन के विभागों तथा वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष के माध्यम से क्रियान्वयन कराते हैं। |

(3) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची संक्षेप में इस प्रकार हैः-

1. राज्य की संचित निधि
2. राज्य की आकस्मिकता निधि
3. राज्य का लोक लेखा
4. राज्य लोक ऋण
5. वार्षिक वित्तीय वितरण के प्रारूप तथा वस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय
6. विनियोग बिल
7. पुनर्विनियोग
8. अकाल सहायता निधि
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन, उसमें धन का विनियोग और धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण
10. अर्थोपाय व्यवस्थ
11. संसाधन
12. वित्तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्य नीति
13. वित्त आयोग
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन
15. विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले विषय
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का, विदेशीय विनिमय
17. महाजनी (बैंकिंग) और महाजनी (बैंकिंग) समवाय
18. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
19. संघ निवृत्ति वेतन
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान

22. अनुकम्पा निधि
23. अल्प बचत योजना
24. कोषागार
25. राज्य लाटरी
26. चिट फंड
27. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण
28. वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम
29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियामक सहायक नियम
30. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम
31. भविष्य निधि नियम
32. वाहन, गृह निर्माण और अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम
33. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले
34. अंतर्राष्ट्रीय तौर से साहयिक्यत परियोजनाओं का परिवीक्षण
35. संस्थागत वित्त
36. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर)
37. वित्त संहिता
38. कोषालय संहिता
39. सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1976
40. सिविल सेवा (छुट्टी) नियम
41. सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम
42. वित्तीय शक्ति पुस्तिका
43. वेतन निर्धारण नियम
44. आकस्मिता निधि नियम
45. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973)

46. लाटरी अधिनियम, 1973 (क्रमांक 9 सन् 1975)
47. धन परिचालन योजना (प्रतिरोध) अधिनियम 1975, (क्रमांक 19 सन् 1975)
48. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)
49. आकस्मिता निधि अधिनियम तथा उसके तहत नियम
50. विनियोग अधिनियम
51. राज्य सरकार प्रतिभूत नियम, 1976
52. लोकधन (शोध्य राशि की वसूली) अधिनियम, 1981
53. मूलभूत नियम

(4) नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

विभाग के उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के प्रवर्गों की सूची संक्षेप में मैनुअल-3 में स्पष्ट किया गया है। यह दस्तावेज प्रत्येक अनुभाग अथवा अभिलेख शाखा में उपलब्ध रहते हैं।

(6) बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

वित्त विभाग से संबद्ध कार्यालयों की सूची निम्नानुसार है:-

(अ) वित्त विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्षों की सूची

- (1) संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
- (2) संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
- (3) संचालनालय, संस्थागत वित्त
- (4) संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

(ब) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा नियम

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना विकास लिमिटेड

(7) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वित्त विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र पटेल “जन सूचना अधिकारी” एवं संयुक्त सचिव, श्री राजेश कुमार सिसोदिया “अपीलीय अधिकारी” नामांकित किया गया है।

(8) निर्णय लेने की प्रक्रिया

शासन के कार्य आवंटन नियम, छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्यनियम तथा (1) सचिवालयीन कार्य पुस्तिका (2) प्रकाशन में सहायक ग्रेड-1 एवं सहायक ग्रेड-2 प्रकरणों में तथ्यों का तथा प्रकरण के इतिहास को संक्षिप्त उल्लेख करते हुए नियम और पूर्वोदाहरण बताने का कार्य करते हैं, अनुभाग अधिकारी इनकी पुष्टि करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्च स्तर की ओर अग्रेषित करते हैं। अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, आवश्यकतानुसार प्रकरण का विश्लेषण करते हैं एवं उनके अंतर्गत जारी नियम निर्देशों के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत अधिकारी सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव एवं विभागीय मंत्री होते हैं।

(9) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका संलग्न है।

सचिव	:	श्री मुकेश कुमार बंसल
सचिव सह संचालक बजट	:	श्रीमती शारदा वर्मा
विशेष सचिव	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
संयुक्त सचिव	:	1. श्री अतीश पाण्डेय 2. श्री राजेश कुमार सिसोदिया
उप सचिव	:	1. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा 2. श्रीमती प्रेमा गुलाब एकका 3. श्री ऋषभ पाराशार
	:	4. श्री सीताराम तिवारी
अवर सचिव	:	1. श्री रोमन कुमार गंगाकचूर 2. श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे
	:	3. श्री कृष्णकांत खरान्शु 4. श्रीमती शांता खरे
	:	5. श्रीमती हिमशिखा साहू
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री निखिल कुमार अग्रवाल 2. श्री धर्मन्द्र पटेल 3. श्री उत्कल कुमार शर्मा 4. श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
शोध अधिकारी	:	सुश्री अनिता सोनी
विभागाध्यक्ष		
1. संचालक, कोष एवं लेखा	:	श्री महादेव कावरे
2. संचालक, पेशन एवं भविष्य निधि	:	श्री महादेव कावरे
3. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	:	सुश्री पुष्पा साहू
4. संचालक, संस्थागत वित्त	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
5. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्रीमती शारदा वर्मा

(10) विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मासिक पारिश्रमिक राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतन पद के अनुसार किया जाता है।

(11) विभाग को आवंटित बजट

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को मांग संख्या 06 द्वारा बजट आवंटन किया जाता है, जो बजट पुस्तिका के रूप में प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।

(12) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभाग द्वारा किसी कार्यक्रम को राज्य सहायता नहीं दी जाती है।

(13) विभाग द्वारा कोई रियायत/अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(14) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/ नियमों का कार्यक्रम सचिवालयीन कार्यालयीन पुस्तिका के पृष्ठ 19 से 30 पर स्पष्ट है।

(15) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभाग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में जानकारी www.finance.cg.gov.in में उपलब्ध है।

(16) विभाग द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये हैं।

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, नियम निर्देश, परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.finance.cg.gov.in पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है।